



उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड  
होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ-226018

दूरभाष : 7607355882  
मेल : registrar@hmbup.in

पत्रांक 1955(A)/एचओएमओपीओ/HAB/692/22

दिनांक 02-9-22

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रबंधक,  
डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मसी  
(डीओएचओपीओ) कालेज, उत्तर प्रदेश।

द्वारा- वेब साइट


विषय-वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मसी पाठ्यक्रम के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में हुई अनियमितता/गबन की जांच हेतु अभिलेखों को संरक्षित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-2079-83/सओकओ/शिक्षा-अ/3/418/2022-23, दिनांक 16 अगस्त, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ द्वारा संचालित डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मसी (डीओएचओपीओ) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त प्रदेश के 47 जनपदों में निजी क्षेत्र में संचालित 234 कालेजों/संस्थाओं (बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी 234 डीओएचओपीओ संस्थाओं की सूची अनुसार) के प्राचार्य/प्रबंधकों को वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासकीय धनराशि की अनियमितता एवं गबन की ईओओडब्लूओ द्वारा की जानी वाली जांच में समन्वय एवं सहयोग हेतु छात्रवृत्ति सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेख सुरक्षित/संरक्षित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,  
  
(शैलेन्द्र कुमार),  
रजिस्ट्रार।

Speed Post

1429/HMB

24/8/22

प्रेषक,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड,

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक-2079-83/स०क०/शिक्षा-अ/3/418/2022-23

लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2022

विषय:-वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मसी पाठ्यक्रम के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में हुई अनियमितता/गबन की जांच हेतु अभिलेखों को सुरक्षित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई०ओ०डब्लू०) उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 01-08-2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करे, जिसके द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ने उ०प्र० होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड, लखनऊ के अन्तर्गत डिप्लोमा इन होम्योपैथिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले प्रदेश के निजी संस्थानों में निदेशालय स्तर पर की गयी जांच में पायी गयी अनियमितताओं/गबन के दृष्टिगत मूल अभिलेखों को सुरक्षित रखने व नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड व बोर्ड से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासकीय धनराशि की अनियमितता एवं गबन की ई०ओ०डब्लू० द्वारा की जाने वाली जांच में समन्वय एवं सहयोग हेतु निदेशालय स्तर पर श्री सिद्धार्थ मिश्र, सहायक निदेशक व जनपद स्तर पर सम्बन्धित जनपद में कल्याण सेक्टर के सम्बन्धित अधिकारी यथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण

अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखने का कष्ट करें तथा जनपद के सम्बन्धित होम्योपैथिक फार्मसी संस्थानों को मूल अभिलेख सुरक्षित रखने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

( राकेश कुमार )  
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3।
- 2- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, आयुष विभाग।
- 3- निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ0प्र0, चतुर्थ तल (तृतीय-टावर) पुलिस मुख्यालय, प्लॉट नं0-30 सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ।

( पी0के0 त्रिपाठी )  
संयुक्त निदेशक